

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	पौष 28, बुधवार, शाके 1933—जनवरी 18, 2012 <i>Pausa 28, Wednesday, Saka 1933—January 18, 2012</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING)

DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, January 18, 2012

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2010.—The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the President on the 8th day of January, 2012 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT)

ACT, 2010

(Act No. 1 of 2012)

[Received the assent of the President on the 8th day of January, 2012]

An

Act

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 251-A, Rajasthan Act No. 3 of 1955.—After the existing section 251 and before the existing section 252 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging the existing way.- (1) Where-

- (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or
- (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings-

and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that-

- (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and
- (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved-

may, by order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by

the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted."

3. Amendment of Third Schedule, Rajasthan Act No. 3 of 1955.—In Part II-'Application' of the Third Schedule of the principal Act, after the existing entry at serial number 81 and before the existing entry at serial number 82, the following new entry shall be inserted, namely:-

"81.A	251-A	Application for laying underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging or widening the existing way	None	None	One rupee	Sub-Divisional Officer".
-------	-------	---	------	------	-----------	--------------------------

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**(ग्रुप-2)**

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 18, 2012

संख्या प. 2(24) विधि/2/2010:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान टेनेन्सी (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2010 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2012)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2010****(2012 का अधिनियम संख्यांक 1)****(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 8 जनवरी, 2012 को प्राप्त हुई)**

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **1955 के राजस्थान अधिनियम सं 3 में नयी धारा 251-क का अंतःस्थापन.-**राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 251 के पश्चात् और विद्यमान धारा 252 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"251-क. अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार

करना.-(1) जहां-

- (क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या
- (ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप-खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप-खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

- (i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और
- (ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है -

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये,

ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।"

3. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं 3 की तृतीय अनुसूची में संशोधन.-मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग-2-'आवेदन' में क्रम सं. 81 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् और क्रम सं 82 पर विद्यमान प्रविष्टि के पूर्व निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"81.क	251-क	अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने के लिए आवेदन	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	उप-खण्ड अधिकारी"।
-------	-------	---	----------	----------	----------	-------------------

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।